प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. 252/2004

अपीलार्थीगण :

1. कल्लू @ बिनम पिता हिरालाल उम्र लगभग 22 वर्ष
2. दिनेश @ बिल्लू पिता हिरालाल, उम्र लगभग 25 वर्ष

दोनों चाँदनी चौक मायापुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) के निवासी है।

(जेल में)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील का ज्ञापन

उपस्थित:- अपीलार्थीगण की ओर से : श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता : श्री संजीव कुमार अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता

युगलपीठ : माननीय श्री **टी. पी. शर्मा** एवं

माननीय श्री **आर. एल. झंवर,** न्यायाधीशगण

मौखिक निर्णय

(14/02/2011)

टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति: -

1. इस अपील में सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 23/2003 में दिनांक 21-2-2004 को पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को देवानंद घासिया की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए, उन्हें भा.द.सं. की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए, आजीवन कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्तों को 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया, जुर्माना के व्यतिक्रम पर दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अपीलकर्ता क्र. 1 कल्लू उर्फ बिनम को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1ख) (ख) के तहत भी दोषी ठहराया गया है और दो साल के कठोर कारावास तथा 500 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया है, जुर्माना के व्यतिक्रम पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी सबूत के, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, और इस प्रकार अवैधता कारित किया।

3. अपीलकर्ता क्र. 2 दिनेश उर्फ बिल्लू की ओर से द.प्र.सं. की धारा 427 के तहत अंतरिम आवेदन क्र. 1 दायर की गई है, जिसमें उन पर लगाए गए दण्ड जो की वर्तमान मामले में और स. प्र. क्र. 69/2000 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा दिनांक 4-2-2002 के निर्णय के माध्यम से, जिसमें माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन्हें भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया है और उन्हें 5 साल के कठोर कारावास

और 1,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है, जुर्माना के व्यतिक्रम पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास साथ-साथ भुगतना होगा, को एक साथ चलाया जाने के, निर्देश देने की मांग की गई है। ।

4. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, दिनांक 17-8-2002 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, शाम लगभग 5.45 बजे, देवानंद (मृतक) के आंगन में दीवार गिरने से पड़े सामान को हटाने के दौरान, जब देवानंद अपनी पत्नी अनीता (अ.सा.-1) से बात कर रहा था, तभी सभी आरोपी आए, उनके हाथों में तलवारें थीं, उन्होंने देवानंद को गाली दी। अपीलकर्ता कल्लू ने अनीता (अ.सा.-1) को धक्का दिया जिससे वह फर्श पर गिर पड़ीं। इसके बाद, उन्होंने देवानंद का पीछा किया और तलवार और अन्य हथियारों से उस पर हमला किया और देवानंद का गला काट दिया। अनीता (अ.सा.-1) ने मदद के लिए चिल्लाया, इसके बाद, वह फखरू के घर गईं और उन्हें घटना के बारे में बताया। वह उस स्थान पर आईं जहां उसके पति का कटा हुआ शव पड़ा था, अन्य लोगों ने भी यह घटना देखी थी। वह तुरंत पुलिस थाना गईं और 30 मिनट के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई (प्रदर्श पी-1), मर्ग (प्रदर्श पी-22) दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुआ और प्रदर्श पी-17 के माध्यम से गवाहों को तलब करने के बाद, प्रदर्श पी-18 के माध्यम से मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। प्रदर्श पी-2 से पी-5 के माध्यम से तस्वीरें ली गईं। प्रदर्श पी-6 और पी-7 के माध्यम से घटनास्थल के नक्शे तैयार किए गए। प्रदर्श पी-15 के माध्यम से शव को अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल में शव परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. ए. भगत (अ. सा.-11) ने प्रदर्श पी-16 के माध्यम से शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1)गर्दन के पिछले हिस्से पर अर्धचंद्राकार आकार का कटा हुआ घाव था, गर्दन के अधिकांश हिस्से कटे हुए पाए गए, आकार 16 सेमी x 10 सेमी x हड्डी कटी हुई।

(2)प्रथम चोट के ठीक ऊपर कटा हुआ घाव, आकार 10 सेमी x 3 सेमी x हड्डी की गहराई तक।

(3)दाहिने कंधे के पीछे कटा हुआ घाव, आकार 12 सेमी x 0.5 सेमी x 0.5 सेमी।

(4)बाएं कंधे के पीछे कटा हुआ घाव, आकार 8 सेमी x 4 सेमी x हड्डी कटी हुई।

(5)बाएँ अग्रबाहु पर कटा हुआ घाव, आकार 6 सेमी x 6 सेमी x हड्डी कटी हुई।

(6)बाएं हाथ की हथेली पर कटा हुआ लगा हुआ घाव, आकार 9 सेमी x 2 सेमी x हड्डी की गहराई तक।

(7)दाहिनी हथेली पर कटा हुआ लगा हुआ घाव, आकार 6 सेमी x 2 सेमी x हड्डी की गहराई तक।

(8)दाहिने माथे पर कटा हुआ घाव, आकार 8 सेमी x 2 सेमी x हड्डी कटी हुई।

(9)बाएँ ऑर्बिटो टेम्पोरल क्षेत्र पर कटा हुआ घाव, आकार 9 सेमी x 2 सेमी x हड्डी कटी हुई।

(10)बाएँ टेम्पेरो-पैरिएटल क्षेत्र पर कटा हुआ घाव, आकार 11 सेमी x 2 सेमी x हड्डी की गहराई तक।

(11)बाएँ माथे पर कटा हुआ घाव, आकार 7 सेमी x 2 सेमी x हड्डी कटी हुई।

(12)बाएँ पार्श्विका क्षेत्र पर कटा हुआ घाव, आकार 9 सेमी x 2 सेमी x हड्डी कटी हुई।

(13)बाएँ मैक्सिलरी क्षेत्र पर कटा हुआ घाव, आकार 3 सेमी x 0.5 सेमी x 0.5 सेमी।

(14)दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर कटा हुआ घाव, आकार 5 सेमी x 1 सेमी x हड्डी कटी हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15)दाहिने पश्चकपाल-पार्श्व क्षेत्र पर कटा हुआ घाव, आकार 10 सेमी x 1 सेमी x हड्डी कटी हुई।

(16)कटा हुआ घाव दाहिने कान के लोब के ऊपरी भाग से होकर गुजरता है, निचला क्षेत्र 6 सेमी

लंबाई में बरकरार है।

दाहिनी ललाट हड्डी, दाहिनी पश्चकपाल हड्डी, बाईं पार्श्विका हड्डी और बाईं ललाट हड्डी कटी हुई पाई गईं। मृत्यु का कारण बेहोशी था और यह हत्या का मामला प्रतीत होता है।

5. विवेचना के दौरान, अपीलकर्ता कल्लू को हिरासत में लिया गया। उसने रक्तरंजीत कपड़ों और तलवार के बारे में प्रकटीकरण कथन दिया (प्रदर्श पी 11)। उस कथन के आधार पर, इन्हें (प्रदर्श पी 12, पी 13 और पी 14 के माध्यम से बरामद किया गया। अपीलकर्ता दिनेश को भी हिरासत में लिया गया। उसने लाठी के बारे में प्रकटीकरण कथन दिया (प्रदर्श पी 20)। इसे उसकी निशानदेही पर (प्रदर्श पी 19) के माध्यम से बरामद किया गया। घटनास्थल से रक्त से सनी और सादी मिट्टी बरामद की गई (प्रदर्श पी 23) के माध्यम से बरामद किया गया । मृतक के कपड़े जब्त किए गए (प्रदर्श पी 24 के माध्यम से) जप्त किया गया । पटवारी ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया (प्रदर्श पी 33)। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया (प्रदर्श पी 31 के माध्यम से भेज गया। तलवार, अपीलकर्ता कल्लू के कपड़ों और दिनेश से बरामद लाठी उन पर रक्त होने की पुष्टि हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए। विवेचना पूरी होने के बाद, अंबिकापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को अंबिकापुर सत्र न्यायालय को उपार्पित।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे अभियुक्त रवि की उम्र को देखते हुए, उसके विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अलग से आरोप पत्र दायर किया गया है।

8. अभियुक्तों के दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध उत्पन्न परिस्थितियों से इनकार किया, अपनी निर्दोषता का दावा किया और कहा कि उन्हें संबंधित अपराध में झूठा फंसाया गया है।

9. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है; अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उन्होंने देवानंद को अचानक उकसावे में आकर, बिना किसी पूर्वचिंतन के, क्षणिक आवेश में चोट पहुंचाई है। इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को सत्य मान लिया जाए, तो अपीलकर्ताओं का कृत्य भा.दं.सं. की धारा 304 भाग-I के दायरे से बाहर नहीं जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता दिनेश को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र परीक्षण क्र. 69/2000 में भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दोषसिद्ध पाया गया था और उसे 5 साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया, जुर्माना के व्यतिक्रम पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अपीलकर्ता दिनेश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के तहत दण्डों को एक साथ चलाने का निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया है, हालांकि उन्होंने दांडिक अपील क्र. 155/2002 के तहत एक अलग अपील भी दायर की है जो विचाराधीन है।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में अपीलकर्ताओं ने अचानक उकसावे या आवेग में आकर या बिना पूर्वचिंतन के चोट नहीं पहुंचाई है। अपीलकर्ता लाठी, तलवार और गुप्ती जैसे खतरनाक हथियारों के साथ आए थे और मृतक के शरीर पर मौजूद 16 जगह की चोटें उनकी हत्या के गंभीर आशय को दर्शाती हैं, जो कि खतरनाक हथियारों से मृतक हत्या की कोटी मे आने वाले आपराधिक मानव वध के बराबर है। मृतक की पत्नी श्रीमती अनीता (अ.सा.-1), जो घटना के समय उपस्थित थीं, का साक्ष्य उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है।

13. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान मामले में, मृतक देवानंद की हत्या, शरीर के मार्मिक अंगों पर पाए गए घातक घावों के परिणामस्वरूप हुई थी, इस बात पर अपीलकर्ताओं की ओर से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया गया है; अन्यथा भी, डॉ. ए. भगत (अ.सा.-11) के साक्ष्य और शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-16) से यह स्थापित होता है कि देवानंद की मृत्यु मानव वध के हत्या के प्रकृति की थी।

15. अपीलकर्ताओं की उक्त अपराध में संलिप्तता के संबंध में, दोषसिद्धि श्रीमती अनीता (अ.सा.-1) के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित है। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता मृतक के पड़ोसी हैं। घटना से पहले, अपीलकर्ताओं की दीवार गिरने के कारण, मृतक देवानंद के आंगन में मलबा पड़ा हुआ था और घटना के समय, देवानंद ने अपनी पत्नी से कहा था कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने सामान नहीं हटाया है, इसलिए वे (मृतक पक्ष) मजदूरों की मदद से सामान हटा देंगे। उपरोक्त तथ्यों का वर्णन करने के बाद, जब मृतक देवानंद अपने घर से निकलकर अपीलकर्ताओं के घर के सामने से गुजर रहा था, तभी अपीलकर्ता अपने घर से बाहर आए। अपीलकर्ता कालू के हाथ में

तलवार थी। उसने उस(इस साक्षी को) धक्का दिया, जिस पर वह 'भागो भागो' चिल्लाई। उसके पति ने स्वयं को बचाने के लिए दौड़ लगाई और सभी अभियुक्त/अपीलकर्ता उसका पीछा करते हुए झाड़ियों (इपोमिया बेश्रम) तक ले गए, जहां उन्होंने तलवार, कटार और लाठी से उस पर बेरहमी से वार किए। देवानंद ने 'बचाओ बचाओ' चिल्लाते हुए, वहा गिर पड़ा। इस पर अपीलकर्ताओं ने इस (अ. सा.) की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब वह डर गई और फखरू के घर की ओर भागी, जहां उसने घटना का ब्यौरा दिया। इसके बाद, वे उस स्थान के पास पहुंचे जहां उसका पति का शरीर था और उन्होंने उसके घावों और शव को देखा। फिर वह पुलिस थाना गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

16. शिव प्रसाद (अ.सा.-2), गणेश (अ.सा.-3), सोनामती (अ.सा.-4) और अन्य गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने इपोमिया बेश्रम झाड़ियों के पास देवानंद का बुरी तरह से घायल शव देखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. बचाव पक्ष ने श्रीमती अनीता (अ.सा.-1) से विस्तृत प्रति परीक्षण किया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद थीं, जब अपीलकर्ताओं ने उसके पति का पीछा किया तब वह फखरू के घर नहीं गई थीं, बल्कि उसने सम्पूर्ण घटना देखी थी और अपीलकर्ताओं ने उसके पति को चोटें पहुंचाई थीं, उसके पति के घायल होकर गिरने के बाद ही वह फखरू के घर गईं थीं। वह मृतक देवानंद की पत्नी और हितबद्ध साक्षी हैं। उसके बयान के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच कुछ दुश्मनी थी, लेकिन केवल दुश्मनी या रिश्तेदारी के आधार पर उसके बयान को व्यक्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में, रिश्तेदार ही असली अपराधी को बचाने और निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने का काम करते हैं।

18. आम तौर पर, किसी करीबी रिश्तेदार द्वारा असली अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने की संभावना सबसे कम होती है। रिश्तेदार गवाहों के साक्ष्य मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**[1] मामले में यह माना है कि किसी साक्षी को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से, जिनके दूषित होने की संभावना हो, न आया हो। उक्त निर्णय का कंडिका 26 इस प्रकार है:-

> 26. किसी साक्षी को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आया हो जिन पर संदेह हो। इसका सामान्यतः अर्थ यह है कि जब तक साक्षी के पास आरोपी के विरुद्ध शत्रुता जैसा कोई कारण न हो, जिसके कारण वह उसे झूठा फंसाना चाहता हो। आमतौर पर, कोई करीबी रिश्तेदार असली अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। यह सच है कि जब भावनाएं तीव्र हों और व्यक्तिगत शत्रुता का कारण हो, तो साक्षी द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति को, जिसके प्रति उसके मन में द्वेष हो, दोषी के साथ घसीटने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार होना आवश्यक है और केवल रिश्तेदारी का होना आधार होने के बजाय अक्सर सत्यता की प्रतिभूति होती है। हालांकि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियां

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] एआईआर 1953 एससी 364

केवल उस बात का खंडन करने के लिए हैं जो अक्सर हमारे सामने आने वाले मामलों में विवेक के सामान्य नियम के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

19. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अशोक कुमार चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य**[2] के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"…. यह एक सार्वभौमिक नियम के रूप में स्थापित करना गलत होगा कि लोकसाक्षी का परीक्षण न किया जाने से ही अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, या पीड़ित के किसी रिश्तेदार की गवाही, जो अन्यथा विश्वसनीय मानी जाती है, पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि लोकसाक्षीयो द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाए। पीड़ित के रिश्तेदारों के साक्ष्य की विश्वसनीयता के प्रश्न के संबंध में, यह सर्वविदित है कि यद्यपि न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों की अधिक सावधानी और सतर्कता से विवेचना करनी चाहिए, फिर भी ऐसे साक्ष्यों को केवल अभियोजन में उनके हित के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। रिश्तेदारी स्वयं किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती। केवल इसलिए कि कोई साक्षी अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे "हितबद्ध" साक्षी नहीं कहा जा सकता। यह सर्वविदित है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] 2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 3739

कि "हितबद्ध" शब्द का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति का किसी न किसी रूप में आरोपी को दोषी ठहराने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है, चाहे वह आरोपी के प्रति किसी द्वेष के कारण हो या किसी अन्य अप्रत्यक्ष उद्देश्य के कारण।

20. श्रीमती अनीता (अ.सा.-1) के साक्ष्य की पुष्टि तुरंत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी -1) और चिकित्सा साक्ष्य से हुई है। उन्होंने शपत पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की है, लेकिन शपत पत्र (प्रदर्श पी-1) की सामग्री से इनकार किया है, जिसमें यह बताया गया है कि अपीलकर्ताओं ने उनके पति को कोई चोट नहीं पहुंचाई है और कुछ अन्य व्यक्तियों ने ऐसी चोटें पहुंचाई हैं, जिसका उन्होंने अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 20 और 21 में खंडन किया है। तुरंत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित उनका साक्ष्य विश्वासयोग्य है और इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने देवानंद को घातक चोटें पहुंचाईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई, इस प्रकार उन्होंने देवानंद की हत्या की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. हेतुक के प्रश्न के संबंध में, हेतुक केवल अपराध को साबित करने में सहायक होता है और प्रत्यक्ष साक्ष्य की स्थिति में इसका महत्व समाप्त हो जाता है। हेतुक का अनुमान प्रयुक्त हथियार, शरीर के प्रभावित अंग, चोट की प्रकृति और अन्य समान परिस्थितियों के आधार पर लगाया जा सकता है।

22. निश्चितरूप से अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, यह घटना मृतक देवानंद के आंगन में पड़े मलबे को हटाने के कारण घटी थी। लेकिन श्रीमती अनीता (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, जब देवानंद अपने घर से निकलकर अपीलकर्ताओं के घर के सामने से गुजर रहे थे, तब अपीलकर्ता तलवार और कटार लेकर आए, उन्होंने देवानंद का काफी दूर तक पीछा किया और उसके बाद खतरनाक हथियारों से शरीर में सोलह

जगह घातक चोटें पहुंचाईं, जिनमें दाहिनी ललाट हड्डी, दाहिनी पश्चकपाल-पार्श्व हड्डी, बाईं पार्श्व हड्डी और बाईं ललाट हड्डी का अस्थिभंग शामिल है। इससे मृतक देवानंद की मृत्यु करने का उनका गंभीर इरादा स्पष्ट होता है। । इससे यह और भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने मृतक देवानंद को निर्दयतापूर्वक चोटें पहुंचाईं।

23. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, माननीय सत्र न्यायाधीश ने देवानंद की हत्या के लिए अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध पाया और सजा सुनाई। भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना और सजा सुनाना विश्वसनीय निर्णायक और विधि के अधीन संधारणीय विधिक साक्ष्यों पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1ख) (ख) के तहत अपीलकर्ता कल्लू की दोषसिद्धि और सजा के संबंध में, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य भी यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि उसके पास निषिद्ध शस्त्र तलवार पाई गई थी। इसलिए, आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1ख) (ख) के तहत अपीलकर्ता कल्लू की दोषसिद्धि और सजा भी कानून के तहत मान्य, विश्वसनीय, निर्णायक और कानूनी साक्ष्यों पर आधारित है।

25. उपरोक्त कारणों से, अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

26. अपीलकर्ता दिनेश की स.प्र. क्र. 69/2000 में दोषसिद्धि से संबंधित अपील (दांडिक अपील क्र. 155/2002) लंबित होने के कारण, अंतरिम आवेदन क्र. 1/2010 को संक्षेप में खारिज किया जाता है। हालांकि, अपीलकर्ता दिनेश उपरोक्त दांडिक अपील में उचित आवेदन दाखिल कर सकता है या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उपयुक्त याचिका दायर कर सकता है।

सही/- **सही/-**

टी . पी. शर्मा **आर. एल. झंवर**

न्यायमूर्ति **न्यायमूर्ति**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu